राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

जयपुर, दिनांक : 15.12.2021

क्रमांकः– एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/

संयोजक/सदस्य,
सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान,
जयपुर।

विषयः– मनरेगा मेट सह सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षकों (महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेटों के ट्रेनिंग हेतु प्रशिक्षकों तथा सामाजिक अंकेक्षण के रिसोर्स पर्सन) के प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंगः– सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के पत्र दिनांक 26.11.2021 के कम में।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत मनरेगा मेट सह सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षकों (महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेटों के ट्रेनिंग हेतु प्रशिक्षकों तथा सामाजिक अंकेक्षण के रिसोर्स पर्सन) के प्रशिक्षण के संबंध में आपका पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति से चार मास्टर प्रशिक्षकों का चयन करते हुए कुल 1650 व्यक्तियों को 1 माह की अवधि में मेट प्रशिक्षण में सक्षम करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें दक्ष प्रशिक्षकों को समानान्तर रूप में सामाजिक अंकेक्षण के प्रशिक्षण हेतु भी सक्षम बनाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर प्रशिक्षकों हेतु 1 माह की अवधि का आवासीय प्रशिक्षण होगा। इस 1 माह की प्रशिक्षण अवधि में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु 1 सप्ताह की फील्ड स्तर का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें मेट प्रशिक्षण तथा सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षण दोनों के लिए एक–एक सप्ताह का प्रशिक्षण रखा जाएगा। इसमें प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा समस्त अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों व तैयार प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग भविष्य में आवश्यकतानुसार मेट प्रशिक्षण में किया जाएगा। उक्त 1650 मनरेगा मेट प्रशिक्षकों को सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रशिक्षक माना जाएगा और वे आगे सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम स्तर पर नियुक्त होने वाले ग्राम रिसोर्स पर्सन तथा मनरेगा में मेटों का प्रशिक्षण करेंगे।

इन 1650 मनरेगा मेट सह सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षकों को आगे मेटों को प्रशिक्षण तथा सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। इस संबंध में उनके द्वारा किये जाने वाले प्रथम 1 माह तक तथा 2 मेट बैच के प्रशिक्षण के कार्य को उनकी परिवीक्षा के समान माना जाएगा और उसमें उनका कार्य संतोषजनक होने पर ही उन्हें आगे इस दायित्व के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें उनके प्रशिक्षण कार्य का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।

इसके अन्तर्गत आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण के रिसोर्स पर्सन के प्रशिक्षण की समस्त वित्तीय राशि आपके अभियान द्वारा ही स्वयं के स्तर पर वहन की जाएगी तथा इस मेट प्रशिक्षण का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही जो भी प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण किया जाएगा, उसका व्यय विभाग द्वारा किया जाएगा।

इस संबंध में विभाग द्वारा सहमति दी जा रही है। कृपया इस संबंध में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण हेतु तैयार मॉड्यूल की प्रति भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त, ईजीएस